

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-10/10 (खण्ड-1)

/कृ०, पटना, दिनांक

, 2014.

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री एस० पी० सिंह,

मेसर्स पारादीप फॉसफेट्स लि०,

H.No-2, द्वितीय तल,

BSIDC कॉलोनी (ए० एन० कॉलेज के सामने),

बोरिंग रोड, पटना-1

विषय :-

कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-48-49 दिनांक 11.06.2010 वैद्यता तिथि 31.12.2015 में इंडोर्समेन्ट एवं कार्यालय स्थानान्तरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपसे प्राप्त आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य सुसंगत कागजातों एवं सहायक कृषि निदेशक (पौ०स०) सर्वेलेन्स, मुख्यालय, पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 के निहित प्रावधानों के आलोक में आपके प्रतिष्ठान के कार्यालय (अनुज्ञप्ति सं०-48 दिनांक 11.06.2010) का पता मेसर्स परादीप फासफेट्स लि० 502, कनकवृज कम्पलेक्स, बोरिंग रोड, पटना से स्थानान्तरित करते हुए मेसर्स परादीप फासफेट्स लि०, H.No.2, द्वितीय तल, BSIDC कॉलोनी (ए० एन० कॉलेज के सामने), बोरिंग रोड, पटना-1 किया जाता है। साथ ही निम्नांकित कम्पनियों के कीटनाशियों का कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-48-49 दिनांक 11.06.2010 वैद्यता तिथि 31.12.2015 में इंडोर्समेन्ट किया जाता है।

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	क्र० सं०	कीटनाशी का नाम	वैद्यता तिथि
1	मेसर्स बेन्टेक केमिकल्स लि०, मेढक, हैदराबाद (AP)	1	Bifenthrin 10% EC	31.12.2015
		2	Buprofezin 25% SC	31.12.2015
		3	Emamectin Benzoate 5% SG	31.12.2015
		4	Deltamethrin 1%+Triazophos 35% EC	31.12.2015
		5	Dichlorvos 76 % EC	31.12.2015
		6	Hexaconazole 5% SC	31.12.2015
		7	Monocrotophos 36% SL	31.12.2015
		8	Pendimethalin 30% EC	31.12.2015
		9	Copper Oxichloride 50% WP	31.12.2015
		10	Thiamethoxam 25% WG	31.12.2015
		11	Triazophos 40% EC	31.12.2015
		12	Thiodicarb 75% WP	31.12.2015
		13	Carbendazim 50% WP	31.12.2015
		14	Chlorpyrifos 50% EC	31.12.2015
		15	Cymoxanil 8%+Mancozeb 64% WP	31.12.2015
		16	Lambda cyhalothrin 5% EC	31.12.2015
		17	Profenophos 50% EC	31.12.2015
		18	Propiconazole 25% EC	31.12.2015
		19	Metribuzin 70% WP	31.12.2015
		20	Acetamiprid 20% SP	31.12.2015
		21	Atrazin 50% WP	31.12.2015
		22	Oxycyfluorfen 23.5 % EC	31.12.2015
		23	Paraquat Dichloride 24% SL	31.12.2015
		24	Fipronil 5% SC	31.12.2015

2	मेसर्स पी0 आई0 इन्डस्ट्रीज लि0, 237, जी0 आई0 डी0 सी0 इन्डस्ट्रीयल इस्टेट, पनोली, भरुच	25	Phorate 10% CG	07.07.2015
---	---	----	----------------	------------

2-उपरोक्त कीटनाशियों का प्रतिष्ठान द्वारा भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा:-मेसर्स परादीप फॉसफेट्स लि0, द्वारा-मेसर्स श्री अम्बिका सेल्स कारपोरेशन, प्लॉट नं0-2714 (अंश), मौजा-धबलपुरा बार्ड नं0-68, बाईपास रोड, NH-30, करमली चक, पटना सिटी, पटना।

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4-अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7-नियम 10 बी0 के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

9- कीटनाशी अनुज्ञप्ति संख्या-48 दिनांक 11.06.2010 बैद्यता तिथि 31.12.2015 मूल रूप में संलग्न है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

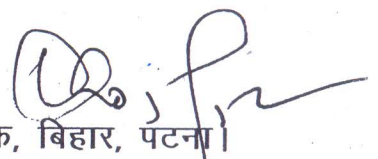
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5544

/कृ0, पटना, दिनांक08-12-2014

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


कृषि निदेशक, बिहार, पटना।